चिकित्सकों का वेतनमान

27. श्री घनश्याम दास (यमुनानगर):

14/17/201

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे किः–

क) क्या यह तथ्य है कि सरकार के दो विभागों अर्थात चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के वेतनमान में बहुत असमानता है;

ख) क्या यह भी तथ्य है कि एक समान योग्यता होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत्त चिकित्सकों की तुलना में राजकीय चिकित्सा महाविधालयों में कार्य करने वाले चिकित्सक पदोन्नति में बेहतर रास्ते तथा बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं; तथा

ग) यदि हां, तो इस असमानता के कारण क्या हैं तथा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री

क) नहीं श्रीमान जी, कोई बड़ी असमानता नहीं है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों का प्रारंभिक वेतनमान कार्यात्मक वेतन स्तर (एफपीएल)–10 है और आवश्यक योग्यता एम0बी0बी0एस0 है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर का प्रारंभिक वेतनमान है कार्यात्मक वेतन स्तर (एफपीएल)–11 और आवश्यक योग्यता एम0बी0बी0एस0+पोस्ट ग्रेजुएशन+एम0डी0/एम0एस0 डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के काम की प्रकृति में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना शामिल है, जबकि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के काम की प्रकृति में मेडिकल और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने के साथ–साथ माध्यमिक, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना शामिल है।

ख) नहीं श्रीमान जी, स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टरों को चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रधान चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है जबकि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में सहायक प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

ग) भाग (क और ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।